Q.1) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
भारत को एक संप्रभु इकाई घोषित करके, प्रस्तावना पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देती है। 'संप्रभु' शब्द का तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र का एक निर्भरता है और न ही एक डोमिनियन है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है।	एक संप्रभु राज्य होने के नाते, भारत या तो एक विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का हिस्सा दे सकता है।	1949 में, भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की तथा ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया। हालाँकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि 'राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत राष्ट्र की संप्रभु स्थिति को सीमित करती है, जहाँ तक यह सदस्यता ब्रिटिश राजा / रानी को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार करती है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण सही नहीं है। राष्ट्रमंडल अब ब्रिटिश राष्ट्रमंडल नहीं है। 1949 से यह संप्रभु समान मित्रों का संघ रहा है, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक संबंधों के कारण, सहकारी प्रयासों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए राष्ट्रमंडल में हाथ मिलाना पसंद किया है। भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक स्वैच्छिक कार्य और एक शिष्टाचार व्यवस्था है। राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में ब्रिटिश राजा / रानी का भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है। भारत उसके प्रति कोई निष्ठा नहीं रखता है। "ब्रिटिश राजा राष्ट्रमंडल संघ का एक प्रतीकात्मक प्रमुख है।" (नेहरु)

Q.2) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म (चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो) को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है।	भारतीय पंथनिरपेक्षता ने एक ऐसे रूप में एक अलग रूप धारण किया, जो पहले से मौजूद समाज में धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के मध्य में था। इसने अंतर-धार्मिक और विभिन्न धर्मों के मध्य प्रभुत्व पर समान ध्यान केंद्रित किया। भारतीय पंथनिरपेक्षता ने समान रूप से दलितों और महिलाओं के हिंदू धर्म के भीतर उत्पीड़न, भारतीय इस्लाम या ईसाई धर्म के भीतर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त किया तथा आश्वस्त किया कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों के लिए कोई खतरा नहीं खड़ा कर सकता है।	भारतीय पंथनिरपेक्षता की जटिलता की "सभी धर्मों के लिए समान सम्मान" वाक्यांश द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है। यदि इस वाक्यांश का अर्थ सभी धर्मों या परस्पर सहसंबंधों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से है, तो यह पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि पंथनिरपेक्षता केवल शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व या भोगवाद से कहीं अधिक है। यदि इस वाक्यांश का अर्थ सभी स्थापित धर्मों और उनकी प्रथाओं के प्रति सम्मान की समान भावना है, तो एक अस्पष्टता है जिसे समाशोधन की आवश्यकता है। भारतीय पंथनिरपेक्षता सभी धर्मों में सैद्धांतिक रूप से राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देती है। इस तरह के हस्तक्षेप से हर धर्म के कुछ पहलुओं का अनादर होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय पंथनिरपेक्षता के भीतर धार्मिक रूप से स्वीकृत जाति-पदानुक्रम स्वीकार्य नहीं हैं। पंथनिरपेक्ष राज्य को हर धर्म के हर पहलू को समान सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करना पड़ता है। यह स्थापित धर्मों के कुछ पहलुओं के लिए समान अनादर की अनुमति देता है।

Q.3) Solution (b)

विशेषताएं	स्रोत
राष्ट्रपति के चुनाव की विधि	आयरिश संविधान

प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श	सोवियत संविधान (USSR, अब रूस)
उप-राष्ट्रपति का पद	अमेरिकी संविधान
मौलिक कर्तव्य	सोवियत संविधान (USSR, अब रूस)
कैबिनेट प्रणाली	ब्रिटिश संविधान

Q.4) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**सत्य**
1853 का चार्टर अधिनियम, पहली बार, गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करता है। इसने गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में छह नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया।	1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ने, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विभेद किया। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। इस प्रकार, इसने दोहरी सरकार की एक प्रणाली स्थापित की।

Q.5) Solution (d)

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
असत्य	**असत्य**	**असत्य**
इसने ग्यारह प्रांतों में से छह में द्विसदनीयता का परिचय दिया। इस प्रकार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं को एक विधान परिषद (उच्च सदन) और एक विधान सभा (निम्न सदन) से युक्त द्विसदनीय बनाया गया। हालांकि, उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे।	इसने प्रांतों में द्वैधशासन को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की। इसने केंद्र में द्वैधशासन अपनाने का प्रावधान किया।	अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों के संदर्भ में विभाजित किया- संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषयों के साथ), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषयों के साथ) और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषयों के साथ)।

Q.6) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
संविधान सभा स्वतंत्र भारत (डोमिनियन लेजिस्लेचर) की पहली संसद बन गई। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हुई, इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की तथा जब यह विधायी निकाय के रूप में मिले, तो इसकी अध्यक्षता जी वी मावलंकर ने की थी।	भारत ब्रेटन वुड्स प्रणाली का सदस्य बन गया था, जबकि यह अभी भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था।	22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था।

Q.7) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
'भारत के क्षेत्र' में केवल राज्य ही नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र भी शामिल हैं, जिन्हें भविष्य के किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित प्रदेश, सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं।	1947 में, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद, सिक्किम भारत का 'संरक्षक' राज्य बन गया, जिससे भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा, बाहरी मामलों और संचार की जिम्मेदारी संभाली। 1974 में, सिक्किम ने भारत के साथ अधिक सहयोग की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार, 35 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1974) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के 'सहयोगी राज्य' का दर्जा देकर संविधान के तहत राज्य का एक नया वर्ग प्रस्तुत किया। 36 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1975) को सिक्किम को भारतीय संघ (22 वां राज्य) का पूर्ण राज्य बनाने के लिए	भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करता है।

	लागू किया गया था। यह कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था।	

Q.8) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
अनुच्छेद 4 यह घोषणा करता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना (नए अनुच्छेद के तहत) तथा नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम (अनुच्छेद 3 के तहत) के परिवर्तन के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधनों के रूप में नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि ऐसे कानून एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जा सकते हैं। आप उन उदाहरणों पर भी विचार कर सकते हैं जहाँ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनाया गया था, और राज्यों को केन्द्र शासित प्रदेश (J & K) बनाया गया था, वे संविधान में संशोधन नहीं थे।	बेरुबरी यूनियन केस (1960) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने के लिए संसद की शक्ति (अनुच्छेद 3 के तहत) एक विदेशी देश द्वारा भारतीय क्षेत्र के अधिग्रहण को कवर नहीं करती है। इसलिए, भारतीय क्षेत्र को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके केवल एक विदेशी राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। नतीजतन, 9 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1960) को उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।	सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में निर्णय सुनाया कि, भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसमें किसी विदेशी देश द्वारा भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण शामिल नहीं है।

Q.9) Solution (c)

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
असत्य	**असत्य**	**सत्य**
वर्तमान भारतीय राष्ट्रीयता कानून काफी हद तक जस सेंगुईनिस (jus	यदि कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो भारत	भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और विदेशी

sanguinis) (वंश द्वारा नागरिकता) का पालन करता है, जो कि जस सोली (jus soli) (क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार से नागरिकता) के विपरीत है।	सरकार उन लोगों को निर्दिष्ट करती है जो क्षेत्र के लोगों में से हैं, वे भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया, तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश, 1962 जारी किया।	शत्रु जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं।

Q.10) Solution (d)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**असत्य**
भारत में, चाहे वे जिस भी राज्य में पैदा हुए हों या निवास करते हों, सभी नागरिक पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हालाँकि, भेदभाव की अनुपस्थिति का यह सामान्य नियम कुछ अपवादों के अधीन है, • संसद (अनुच्छेद 16 के तहत) उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ नियोजन या नियुक्तियों के लिए एक शर्त या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के रूप में एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास आवश्यक कर सकती है। • संविधान (अनुच्छेद 15 के तहत) किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, न कि निवास के आधार पर। • आवागमन और निवास की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 के तहत) किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के अधीन है।	जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालांकि, जब ऐसा बच्चा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो वह भारतीय नागरिकता फिर से आरंभ कर सकता है।

Q.11) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB) संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा - जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित है। यह विधेयक उन राज्यों पर भी लागू नहीं होगा जिनके पास इनर-लाइन परमिट शासन है (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम)।	1955 के अधिनियम के तहत, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यकताओं में से एक यह है कि आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान, तथा पिछले 14 वर्षों में से 11 के लिए भारत में रहना चाहिए था। संशोधन अधिनियम इस 11 साल की आवश्यकता को समान छह धर्मों और तीन देशों से संबंधित व्यक्तियों के लिए 5 साल तक के लिए छूट देता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों के अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करते हुए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दिसंबर 2014 से पहले उत्पीड़न से भाग गए थे।

Q.12) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और इसी तरह से संबंधित प्रावधान हैं: 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष 5. राज्यों में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 7. सर्वोच्च न्यायालय के	छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं।	नौवीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन तथा अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के कानूनों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 282) शामिल हैं।

न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक		

Q.13) Solution (c)

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
ओसीआई को 'दोहरी नागरिकता' के रूप में माने जाने की गलती नहीं करना चाहिए। ओसीआई राजनीतिक अधिकारों को प्रदान नहीं करता है।	भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिक, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिक को प्रदत्त अधिकारों के हकदार नहीं होंगे।	भारत के एक पंजीकृत प्रवासी नागरिक को भारत में आने के लिए कई प्रवेश, बहुउद्देश्यीय, जीवन-कालीन वीजा दिया जाता है, उसे भारत में किसी भी लम्बे प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण से छूट दी जाती है, तथा उसे सामान्य 'गैर-निवासी भारतीयों (NRI) की तरह कृषि, वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में।' समान अधिकार हैं, जो मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विशिष्ट लाभ / समता अधिसूचित किए जाते है।

भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI) योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (PIO) के प्रवासी नागरिक (OCI) के रूप में पंजीकरण के लिए प्रावधान प्रदान करती है, जो भारत के नागरिक 26 जनवरी, 1950 या उसके बाद या 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या नहीं, सिवाय जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा है या ऐसे अन्य देश जिन्हें केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें ।

Q.14) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	सत्य	असत्य
ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है तथा एक लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती है	दोनों देशों में दोहरी कार्यकारी है। राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यकारी (de jure executive or titular executive) होते हैं जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी (de facto executive) होते हैं।	दोनों देशों में सामूहिक उत्तरदायित्व है, जहां मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।	ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है तथा एक लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती है।

Q.15) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	असत्य	सत्य
संसदीय प्रणाली अस्थिर सरकार की ओर ले जाती है।	उत्तरदायी सरकार संसदीय प्रणाली का प्रमुख लाभ है।	संसदीय प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है तथा इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है	संसदीय प्रणाली विभिन्न समूहों से व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।

Q.16) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
पांचों क्षेत्रीय परिषदें - पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956	केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद् के अध्यक्ष होते हैं।	क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं: • राष्ट्रीय एकीकरण लाना; • तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद,

के तहत राज्यों के बीच अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थीं। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना 1971 में भारत के सात उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए की गई थी। इसे उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 नामक कानून के तहत स्थापित किया गया था।		भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्ति की वृद्धि पर रोक लगाना; • केंद्र और राज्यों को विचारों और अनुभवों का सहयोग तथा आदान-प्रदान करने के लिए सक्षम करना; • विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना।

Q.17) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य

प्रस्तावना में चार अवयवों या घटकों का पता चलता है:

- संविधान के अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपने अधिकार प्राप्त करता है।
- भारतीय राज्य की प्रकृति: यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राजनीति की घोषणा करता है।
- संविधान के उद्देश्य: यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करता है।
- संविधान को अपनाने की तिथि: इसमें तिथि के रूप में 26 नवंबर, 1949 निर्धारित है।

Q.18) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

केंद्र सरकार, किसी आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति के लिए प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है (अवैध प्रवासी नहीं होने पर) यदि उसके पास निम्न योग्यताएँ हैं:

(a) वह किसी भी देश का विषय या नागरिक नहीं है, जहां भारत के नागरिकों को प्राकृतिक रूप से उस देश का

विषय या नागरिक बनने से रोका जाता है;

(b) यदि वह किसी भी देश का नागरिक है, तो वह भारतीय नागरिकता स्वीकार किए जाने के लिए आवेदन करने की स्थिति में उस देश की नागरिकता का त्याग करने का वचन देता है;

(c) वह या तो भारत में रहता है या भारत में एक सरकार की सेवा में है या आंशिक रूप से पहले में है और आंशिक रूप से दूसरे में है, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो;

(d) यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या आंशिक रूप से पहले में है और आंशिक रूप से दूसरे में है, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ;

(e) वह अच्छे चरित्र का है;

(f) कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान है, और

(g) कि उसे दिए गए प्राकृतिककरण के प्रमाण पत्र की स्थिति में, वह भारत में निवास करने का इरादा रखता है, या एक सेवा के तहत सेवा में प्रवेश करना या जारी रखना चाहता है।

भारत में सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत, जिसका सदस्य भारत है या भारत में स्थापित सोसइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय है।

Q.19) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
सत्य	**सत्य**	**असत्य**

वंचितता (Deprivation) भारतीय नागरिकता का अनिवार्य समापन है केंद्र सरकार, यदि: (a) धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की है: (b) नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई है: (c) नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है; (d) नागरिक को पंजीकरण या प्राकृतिककरण के बाद पांच वर्ष के भीतर किसी भी देश में दो साल तक कैद में रखा गया है; तथा (e) नागरिक सात वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहा है।	राजद्रोह के आरोपों का लगना नागरिकता वंचित करने का आधार नहीं है।

Q.20) Solution (d)

समिति	व्यक्तित्व
1. राज्यों के लिए समिति	जवाहर लाल नेहरू
2. प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
3. प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
4. कार्य संचालन समिति	डॉ. के.एम. मुंशी

Q.21) Solution (a)

यह केरल, भारत का एक नृत्य और काव्य प्रदर्शन रूप है। यह अठारहवीं सदी में कुंचन नांबियार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि प्राचीन कविथ्रयम (तीन प्रसिद्ध मलयालम भाषा के कवि) में से एक हैं। इसके साथ एक मृदंगम (एक बैरल के आकार का डबल हेड ड्रम) या एक इडक्का (ड्रम और सिंबल) होता है।

Q.22) Solution (d)

ओसुदु झील - पुदुचेरी
सादिकपुर सिनौली - उत्तर प्रदेश
परि आदि पर्वत - अरुणाचल प्रदेश

Q.23) Solution (a)

पीला सागर मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है, तथा इसे पूर्वी चीन सागर का उत्तर-पश्चिमी भाग माना जा सकता है।

Q.24) Solution (a)

कथन विश्लेषण:

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
यह भारत का राज्य पशु है।	आईयूसीएन - सुभेद्य (Vulnerable)	यह भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है।

Q.25) Solution (b)

5 जी के लिए प्रायोगिक / परीक्षण स्पेक्ट्रम की पेशकश पर अभय करंदीकर पैनल गठित किया गया है।

Q.26) Solution (c)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence survey) किया जाता है। सर्वेक्षण पांच आर्थिक चर - आर्थिक स्थिति, रोजगार, मूल्य स्तर, आय और व्यय पर उपभोक्ता की धारणा (वर्तमान और भविष्य) को मापता है।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में दो मुख्य सूचकांक हैं - वर्तमान स्थिति सूचकांक और भविष्य की अपेक्षाएं सूचकांक। वर्तमान स्थिति सूचकांक पिछले एक वर्ष में एक आर्थिक मुद्दे पर उपभोक्ता की धारणा में परिवर्तन को मापता है जबकि भविष्य की अपेक्षाएं सूचकांक मापता है कि उपभोक्ता समान चर के बारे, एक वर्ष आगे के लिए क्या सोचता है।

Q.27) Solution (c)

फुजैराह पोर्ट - यूएई
चंगंगख लखंग - भूटान
गार्ज़वीलर - जर्मनी

Q.28) Solution (c)

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नावों द्वारा अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान 'जीरो चांस' आरंभ किया है। जीरो चांस का संदेश सरल है। जो भी नाव से अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया आने की कोशिश करता है, उसके पास सफलता का शून्य मौका होता है। 2013 के बाद से लागू किए गए ऑपरेशन सॉवरिन बॉर्डर्स के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 35 जहाजों पर अब तक 857 से अधिक लोगों को वापस कर दिया है।

Q.29) Solution (a)

बेसल 3 एक वैश्विक विनियामक पूंजी और तरलता ढांचा है, जो बेसेल समिति द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर विकसित किया गया है। बेसल 3 तीन भागों, या स्तंभों से बना है। स्तंभ 1 पूंजी और तरलता पर्याप्तता को संबोधित करता है और न्यूनतम आवश्यकताओं संबंधी प्रावधान प्रदान करता है। स्तंभ 2 पर्यवेक्षी निगरानी और समीक्षा मानकों की रूपरेखा तैयार करता है। स्तंभ 3 निर्धारित सार्वजनिक खुलासे के माध्यम से बाजार अनुशासन को बढ़ावा देता है।

Q.30) Solution (a)

कथन विश्लेषण:

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**असत्य**
"ऑपरेशन सनशाइन -2" नामक एक समन्वित ऑपरेशन में, भारतीय सेना ने म्यांमार के सैनिकों के	इसने मणिपुर, नागालैंड और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया।

साथ 3 सप्ताह का लंबा ऑपरेशन किया।	

Copyright © by IASbaba

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.